राजस्थान सरकार

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 30 दिसम्बर, 2021

एस.ओ.637:- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2021

1.**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुज्ञेय चिकित्सा सुविधा.- (1) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट उपबंध के अध्यधीन रहते हुए राजस्थान विधान सभा के सदस्य, वैसी ही चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे जैसीकि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 2013, समय-समय पर यथा संशोधित, के अधीन राज्य सरकार के अधिकारियों को उपलब्ध हैं।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, सदस्य और उसका कुटुंब सरकारी अस्पताल, अनुमोदित अस्पताल, लोक निजी भागीदारी व्यवस्था के अधीन अस्पताल/रैफरल अस्पताल में एक बिस्तर वाले विशेष वार्ड में नि:शुल्क वास-सुविधा और यदि ऐसे वार्ड में वास-सुविधा उपलब्ध नहीं है तो दो से अनधिक बिस्तरों वाले विशेष वार्ड या किसी डीलक्स वार्ड, जो भी उपलब्ध हो, में वास-सुविधा का हकदार होगा।

(3)**निरसन और व्यावृत्तियां.-** राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 1964 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई इन नियमों के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

खं. 7(1) संसद 2021

राज्यपाल के आदेश से

प्रवीण भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव,